



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 23-06-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-22328/CE-HQ1/RYS(H)/ALI/2026-27, दिनांक 02-06-2026, पत्र संख्या-22330/CE-HQ1/RYS(H)/LKO/2026-27, दिनांक 02-06-2026, पत्र संख्या-22419/CE-HQ1/RYS(H)/PRJ/2026-27, दिनांक 08-06-2026, पत्र संख्या-22425/CE-HQ1/RYS(H)/AGR/2026-27, दिनांक 08-06-2026, पत्र संख्या-22446/CE-HQ1/RYS(H)/LKO/2026-27, दिनांक 08-06-2026, पत्र संख्या-22540/CE-HQ1/RYS(H)/AGR/2026-27, दिनांक 09-06-2026, पत्र संख्या-22541/CE-HQ1/RYS(H)/GON/2026-27, दिनांक 09-06-2026, पत्र संख्या-22612/CE-HQ1/RYS(H)/PRJ/2026-27, दिनांक 11-06-2026, पत्र संख्या-22613/CE-HQ1/RYS(H)/MBD/2026-27, दिनांक 11-06-2026, पत्र संख्या-22695/CE-HQ1/RYS(H)/AGR/2026-27, दिनांक 16-06-2026, पत्र संख्या-22700/CE-HQ1/RYS(H)/GON/2026-27, दिनांक 16-06-2026, पत्र संख्या-22750/CE-HQ1/RYS(H)/ALI/2026-27, दिनांक 17-06-2026, पत्र संख्या-22779/CE-HQ1/RYS(H)/PRJ/2026-27, दिनांक 18-06-2026 एवं पत्र संख्या-22806/CE-HQ1/RYS(H)/MIR/2026-27, दिनांक 18-06-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के अधोलिखित 15 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 7766.05 लाख (रूपये सतहत्तर करोड़ छछठ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/प्रावैधिक/बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनु० सं०-58	अनु० सं०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कासगंज प्रा०ख०	जनपद कासगंज में छतारी अतरौली कासगंज मार्ग (राज्य मार्ग सं०-105) के चैनेज 45.840 से 16.840 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 16.00 कि०मी०)।	4629.58 4629.16 992.46 3636.70	307.29	393.95	106.05	500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	सीतापुर प्रा0ख0	जनपद सीतापुर में बहराईच-सीतापुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-30बी) के चैनेज 31.050 से 49.000 तक दो लेन विड पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 17.950 कि0मी0)।	6024.92 6024.05 7.88 6016.17	1204.98	393.95	106.05	500.00
3	फतेहपुर प्रा0ख0	जनपद फतेहपुर (प्रा0ख0) की विधान सभा बिन्दकी के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0-170 फतेहपुर-बहुआ-हिनाता मार्ग के चै0 4.700 से 25.430 (जयराम नगर से जोनिहा भाग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 20.73 कि0मी0)।	7577.88 7508.83 15.95 7492.88	1115.57	2066.27	556.23	2622.50
4	मथुरा नि0ख0-1	जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद-जलेसर-आवागढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-122) के चैनेज 8.000 से 25.000 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 17.00 कि0मी0)।	5820.49 5820.49 0.32 5820.17	1184.91	393.95	106.05	500.00
5	आगरा प्रा0ख0	जनपद आगरा में फिरोजाबाद फतेहाबाद सैंया खेरागढ़ किरावली भतरपुर बार्डर मार्ग (एस0एच0-143) के कि0मी0 95 से 108 तक (लम्बाई 11.300 कि0मी0) का दो लेन (पेव्ड शोल्डर) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	2196.72 2196.72 500.00 1696.72	764.80	157.58	42.42	200.00
6	लखनऊ प्रा0ख0	जनपद लखनऊ में लखनऊ-कुर्सी मार्ग के कि0मी0 4 में अलीगंज नया हनुमान मंदिर से नीरा नर्सिंग होम तक मार्ग के पास सकरे भाग के चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 0.250 कि0मी0)।	368.22 368.22 0.20 368.02	116.07	184.01	49.54	233.55
7	आगरा नि0ख0-2	जनपद आगरा में चंदौसी आगरा तोंतपुर कोट मार्ग (राज्य मार्ग) के चैनेज 216.300 से 224.630 तक	1823.57 1823.57 400.33 1423.24	225.96	157.58	42.42	200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 8.330 कि०मी०)।					
8	बहराईच नि०ख०-1	जनपद बहराईच में बहराईच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के कि०मी० 1 से कि०मी० 10, कि०मी० 30 से कि०मी० 35, कि०मी० 38 एवं कि०मी० 39 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 18.00 कि०मी०)।	5059.15 5059.15 133.18 4925.97	3636.55	157.58	42.42	200.00
9	कौशाम्बी प्रा०ख०	जनपद कौशाम्बी में लालगंज-मंझनपुर-मऊ मार्ग के चैनेज 52.852 से 54.652 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.800 कि०मी०)।	974.30 973.90 133.62 840.28	400.00	78.79	21.21	100.00
10	अमरोहा नि०ख०	जनपद अमरोहा में अमरोहा-कैलसा-पाकबड़ा मार्ग (राज्य मार्ग-78) के कि०मी० 05 (500) से 14 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 9.50 कि०मी०)।	2412.48 2412.48 59.83 2352.65	1406.24	39.40	10.60	50.00
11	प्रा०ख० आगरा	जनपद आगरा (प्रा०ख० की विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत फिरोजाबाद फतेहाबाद सैया खेरागढ़ किरावली मार्ग (राज्य मार्ग-143) के कि०मी० 10 से 15 एवं कि०मी० 38 से 46 (865) तक 7.00 मीटर से दोनों ओर पेव्ड शोल्डर के साथ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 13.665 कि०मी०)।	2863.63 2863.63 600.45 2263.18	572.72	157.58	42.42	200.00
12	बहराईच नि०ख०-1	जनपद बहराईच में बहराईच-ककरदही मार्ग (एस०एच०-156) के चैनेज 3.000 से चैनेज 12.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 9.00 कि०मी०)।	2965.47 2965.47 34.59 2930.88	1037.91	157.58	42.42	200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

13	हाथरस प्रा0ख0	जनपद हाथरस में मथुरा सादाबाद जलेसर अवागढ मार्ग (एस0एच0-122) के सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 29.250 कि0मी0)।	4398.61 4398.61 765.60 3633.01	3289.51	126.06	33.94	160.00
14	कौशाम्बी नि0ख0	कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने के कार्य (लम्बाई 31.85 कि0मी0)।	46497.49 46497.49 18.35 46479.14	40941.49	1575.80	424.20	2000.00
15	भदोही प्रा0ख0	जनपद भदोही में दुर्गागंज-गोपीगंज-मीरजापुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-153) के चैनेज 2.200 से चैनेज 27.600 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 25.40 कि0मी0)।	7020.07 7020.07 29.63 6990.44	1148.02	78.79	21.21	100.00
योग:-					6118.87	1647.18	7766.05

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज़ारों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1,2,3,4,6,7,9,11,12 व 15 में अंकित कार्यो हेतु धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रश्नगत कार्यो हेतु अगली/अनुवर्ती किश्त की धनराशि की मांग इन कार्यो के मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेशो मे उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में निहित व्यवस्था सम्बन्धी शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाय।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
- (4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) ₹0 61,18,87,000 (रूपये इकसठ करोड़ अठ्ठारह लाख सत्तासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033370303 राज्य राज मार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) ₹0 16,47,18,000 (रूपये सोलह करोड़ सैतालिस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890300 राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, 30प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।